भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1157

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

पेंशन में बढ़ोतरी

1157. शा.ब्र डॉ जय सिद्देश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोलापुर में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इसकी अल्प राशि को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि करना आवश्यक है; और

(घ) क्या मंत्रालय का इस संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): भारत सरकार ने पात्रता के आधार पर असंगठित कामगारों के लाभ के लिए फरवरी, 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना शुरू की है जो एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। इस स्कीम में 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर लाभार्थियों को न्यूनतम 3,000/- रूपये की मासिक पेंशन देना सुनिश्चित है। 18-40 वर्ष की आयु समूह के सभी असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15,000/- रूपये तक है और जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम या राष्ट्रीय पेंशन प्राणाली (सरकार द्वारा अंशदायी) के सदस्य नहीं हैं और आयकर दाता भी नहीं हैं वे इस स्कीम के अंतर्गत अपना नामांकन कराने के पात्र हैं। अभिदाता से यह अपेक्षित है कि वह निर्धारित मासिक अंशदान का भुगतान करे और इतनी ही राशि का अंशदान केंद्रीय सरकार करेगी। इस स्कीम को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत देशभर में किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपना नामांकन कराया जा सकता है।

इसके अलावा दिनांक 19.08.2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. (अ) के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बनाई गई कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस), 1995 के तहत पेंशनधारकों के लिए 01.09.2014 से 1,000/- रूपये की न्यूनतम मासिक पेंशन निर्धारित की गई है जो उन पर प्रतिष्ठानों पर लागू है जो अनुसूची - I में उद्योगों और प्रतिष्ठानों की श्रेणी से संबंधित हैं तथा जिनमें कर्मचारियों की संख्या 20 या इससे अधिक है। ईपीएस, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए वर्तमान में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

इसके अलावा भारत सरकार द्वारा मई, 2015 में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की गई, और 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के भारतीय नागरिक अपने बचत बैंक खाते अथवा डाकघर बचत बैंक खाते के माध्यम से एपीवाई में शामिल होने के पात्र हैं। चुनी गई पेंशन योजना के आधार पर प्रत्येक अभिदाता को एपीवाई के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के पश्चात उसकी मृत्यु होने तक 1,000/- रूपये प्रतिमाह, अथवा 2,000/- रूपये प्रतिमाह अथवा 3,000/- रूपये प्रतिमाह अथवा 4,000/- रूपये प्रतिमाह अथवा 5,000/- रूपये प्रतिमाह की गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन दी जाएगी।

******